चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 06-03-2020

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं (पंच एवं सरपंचों) के लिए घोषित किए प्रथम चरण के स्थगित आम चुनाव (संलग्न सूची अनुसार) पूर्ण कराये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र मूल ही संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। चुनाव दिनांक 15.3.2020 को होने के कारण आदर्श आचार संहिता भाग–7 की पालना सुनिश्चित करने का श्रम करें:–

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. निर्वाचन से जुडे सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(signature) 6/3/20
(बृज मोहन शर्मा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 2476 दिनांक 04.03.2020 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गण।
12. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चुनाव विभाग से प्राप्त निर्देशो की पालना को सुनिश्चित करावें।
13. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. समस्त संभागीय आयुक्त।
16. समस्त जिला कलक्टर्स (जिला निर्वाचन अधिकारी)।
17. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
18. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
21. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–1, 3, 4, 5, 6) विभाग/सम्पदा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
22. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
23. रक्षित पत्रावली।

(signature)
उप शासन सचिव
06/3/20